

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर

क्रमांक
प्रति,

/ एफ-2-225 / 31 / एस-2 / 2012,

अटल नगर, दिनांक / 09 / 2018

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- बलरामपुर जिले के विकासखण्ड-बलरामपुर की मानिकपुर जलाशय योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-876/बो.प्र./RAA/2016/699, दिनांक 12.01.2017.

राज्य शासन एतद् द्वारा बलरामपुर जिले के विकासखण्ड-बलरामपुर की मानिकपुर जलाशय योजना हेतु लागत राशि रु. 553.04 लाख (रुपये पांच करोड़ तिरपन लाख चार हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 175 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ विंत्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय विंत्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. विंत्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.953/ब-2/कम्प्यूटर क्र.-31-01954, दि.07.09.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

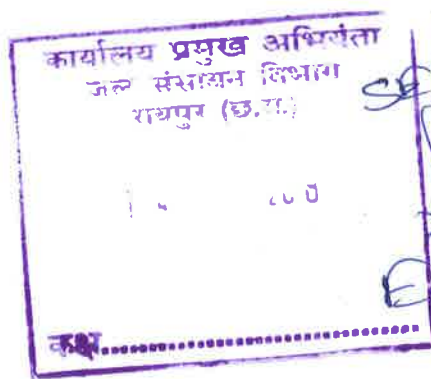
(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्रमांक 5306/एफ-2-225/31/एस-2/2012,

अटल नगर, दिनांक 12 /09/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
 3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर ।
 4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
 8. कलेक्टर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.) ।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर ।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर ।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
 13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अंबिकापुर ।
 14. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर ।
 15. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-2 रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
16. आदेश पंजी ।



12/9/18
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग